10.50

संख्या– /XXXVI(1)/2017-105/2012 T.C.

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 29 अगस्त, 2017

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी/बहस करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों की आबद्धता समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित विधि अधिकारियों, जिन्हें इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
1	श्री रमन कुमार शाह	उप महाधिवक्ता (फौजदारी)
2	श्री विजय सिंह पाल	सहायक शासकीय अधिवक्ता
3	श्री विपिन मोहन पिंगल	वाद धारक
4	श्री नन्दन सिंह कन्याल	वाद धारक
5	श्री हरिमोहन भाटिया	वाद धारक
6	श्री प्रेम कौशल	वाद धारक

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– 284 /XXXVI(1)/2017-105/2012 T.C. तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह सम्बन्धित विधि अधिकारियों (सिविल)/(फौजदारी) से उनको सुपुर्द किये गये मामलों के सभी अभिलेख प्राप्त करने का कष्ट करें।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित अधिवक्तागण ।
8. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

c:\users\lenovo\documents\bhagwan folder yr 2017\appointment of lawyers in h.c & s.c\appointment in high court.docx